



UPBS120002742017

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी- (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)- UP03335

मूलवाद सं० 188/2017

राम प्रताप बनाम रामपियारे आदि

05.01.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।
प्रार्थनापत्र 26 क² पर सुना-

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 26 क² प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 2 रामजनक की मृत्यु दिनांक 29.12.2018 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिसान उनकी पत्नी एवं पुत्रगण हैं। अन्य कोई वारिस नहीं है। अतः मृतक के विधिक वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 28 ग² प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी अनपढ़ गंवार देहाती व्यक्ति है। कानून कायदे से अनभिज्ञ है। प्रार्थी को यह ज्ञान नहीं था कि किसी पक्षकार के मरने पर वरासत दरखास्त देनी पड़ती है और उसकी क्या मियाद होती है। कानूनी राय व जानकारी मिलने पर तुरन्त दरखास्त वरासत प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी दशा में प्रार्थी को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देकर दरखास्त वरासत को स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 26 क² के माध्यम से प्रतिवादी सं० 2 रामजनक की मृत्यु के फलस्वरूप उनके विधिक वारिसों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रस्तावित वारिसानों पर तामीला जरिए प्रकाशन पर्याप्त है। वादी द्वारा विलम्ब की बाबत प्रार्थनापत्र 28 ग² प्रस्तुत करते हुए धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने की बात कही गई। वादी को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 28 ग² हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र 26 क² स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 28 ग² मु० 100/- रूपए हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र 26 क² स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 18.02.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद, स्थान-बस्ती।